भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 705
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2022

भारतनेट के तहत फाइबर केबल के निरीक्षण प्रोटोकॉल

705. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतनेट के तहत फाइबर केबल्स के निर्धारित मानक क्या है?;
(ख) इस मानक का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के उस प्रारूप प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिसमें ग्राम पंचायतों में भारतनेट की अवसंरचना की गुणवत्ता और दक्षता की आलोचना की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) परियोजना की शुरूआत से अब तक कितनी निजी फर्मों ने पीपीपी मॉडल में भाग लेने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) वर्तमान में कितनी निजी फर्में भारतनेट के तहत कार्य कर रही हैं और परियोजना की शुरूआत से अब तक इन फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई कनेक्टिविटी के राज्य-वार आंकड़े क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) भारतनेट चरण-I के तहत 24 कोर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का उपयोग किया गया है जबकि चरण-II में 48 और उससे अधिक कोर ओएफसी का उपयोग भूमिगत ओएफसी बिछाने के लिए गया गया है। इसके अलावा, भारतनेट चरण-II के तहत एरियल ओएफसी के मामले में 24 और उससे अधिक कोर ऑल डाइइलेक्ट्रिक सेल्फ सपोर्टिंग (एडीएसएस) केबल का उपयोग किया गया है।

जारी.....2/

(ख) परियोजना के भाग के रूप में, मानक के अनुपालन की जांच करने के लिए स्वीकृति परीक्षण किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की मसौदा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर भारतनेट से संबंधित गुणवत्ता और दक्षता मुद्दों का समाधान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से भारतनेट चरण-I के लिए सेवा स्तर समझौता आधारित प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) भारत संचार निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
- भारतनेट चरण-II के तहत ओएफसी को सीधे ब्लॉक से ग्राम पंचायत (जीपी) तक बिछाया गया है।
- भारतनेट चरण-II के तहत कार्य को पूरा करने/शुरू करने के बाद नेटवर्क के ओ एंड एम का कार्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सौंपा गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्व साझेदारी समझौतों के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भारतनेट नेटवर्क प्रदान किया जा रहा है।

(ङ) 16 राज्यों में पीपीपी मॉडल के तहत भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 20.07.2021 को वैश्विक बोलियां आमंत्रित की गई थीं और इन बोलियों को दिनांक 27.01.2022 को खोला गया था। कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

(च) भारतनेट चरण-I को तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। भारतनेट चरण-II को पंजाब और बिहार को छोड़कर जहां चरण-II को निजी क्षेत्र मॉडल के तहत कार्यान्वित किया गया था, बीएसएनएल और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पंजाब में एचएफसीएल और विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड (वीटीएल) ने 4,713 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया है जबकि बिहार में वीटीएल और पॉलीकैब ने 2,669 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया है। इसके अलावा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), भारतनेट परियोजना के लिए कार्यकारी एजेंसी ने देश में भारतनेट चरण-I नेटवर्क का उपयोग करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ लगभग 100 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसएनएल ने भारतनेट के उपयोग के लिए अभी तक 700 से अधिक फ्रेंचाईजीज को शामिल किया है।

*****